अध्याय VII: वस्त्र मंत्रालय

केन्द्रीय रेशम बोर्ड

7.1 सरकारी धन का धोखाधड़ी से आहरण

अप्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तंत्र की वजह से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के गुवाहटी के क्षेत्रीय कार्यालय के बैंक खाते से ₹85.13 लाख तक निधियों का कपटपूर्ण आहरण हुआ, जिसमें से ₹75.52 लाख की वसूली नहीं हुई।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1948 में हुई थी। यह देश में रेशम उत्पादन की वृद्धि तथा विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है।

सीएसबी का गुवाहटी क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) रेशम उत्पादन विभाग, पूर्वोत्तर राज्यों, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद तथा अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय/ संपर्क रखता है, राज्यों में रेशन उद्यम के समग्र विकास हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण का आयोजन करता है और केन्द्र सरकार से प्रायोजित विभिन्न योजनाओं की निगरानी करता है। यह उक्त गतिविधियों को करने के लिए विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों से प्रशासनिक लागत के प्रति निधियां प्राप्त करता है।

सीएसबी नियमावली, 1955 का नियम 35 सीएसबी के बैंक खातों के अनुरक्षण तथा परिचालन से संबंधित विभिन्न नियंत्रण उपायों को वर्णित करता है जिसमें एक प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कैश बुक की पूर्ण जांच तथा सत्यापन के बाद इसे दैनिक रूप से बंद करना तथा इस प्रभाव हेतु एक दिनांकित प्रमाण-पत्र के साथ प्रत्येक माह के अन्त में भी इसे बंद करना सम्मिलित है। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 का नियम 21 लोक निधि से व्यय करने वाले अथवा व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को संबंधित वित्तीय नियमावली और विनियमावली का पूर्ण रूप से अनुपालन करने वाले वित्तीय स्वामित्व के उच्च मानकों, वित्तीय आदेशों तथा कठोर आर्थिक व्यवस्था से मार्गदर्शन लेने की आज्ञा देता है।

आरओ के अभिलेखों की नमूना जांच से यह पता चला (अप्रैल 2019) कि मई 2018 तथा अप्रैल 2019 के बीच, ₹73.43 लाख की राशि को आरओ के बैंक खाते से, आरओ

के साथ कोई कार्यालयी संव्यवहार न रखने वाले विभिन्न व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया गया था। इसके अलावा, दैनिक बही खाते तथा समर्थन वाउचरों के साथ कैश बुक प्रविष्टियों के मिलान से यह पता चला कि कैश बुक तथा दैनिक बही के आंकड़े के साथ छेड़छाड़ की गई थी तथा उसी अवधि के दौरान ₹10,000 से ₹7,00,000 के बीच भुगतानों हेतु बैंक को जारी निर्देशों में फर्जी प्रविष्टियां की गई थी। ऐसे मामले भी देखे गए जहां एक अधिकारी, जो कैश बुक के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी था, ने बैंक को भुगतान के निर्देश जारी किए थे। इसके अलावा, प्रबंधन सीएसबी नियमावली के तहत अपेक्षित अनुसार कैश बुक के लिए मासिक सत्यापन प्रमाणपत्र प्रदान करने में विफल रहा। (सितम्बर 2019)।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2019) कि आगे की गयी जांच मे पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शाये गये ₹73.43 लाख के विरुध, कपटपूर्ण तरीके से कुल ₹85.13 लाख हस्तांतरित किये गये जिसमें से ₹9.61 लाख की राशि की वसूली की गई, ₹75.52 लाख शेष थे, जिसकी वसूली लंबित थी। भविष्य में ऐसी कपटपूर्ण गतिविधियों की अनावृत्ति सुनिश्चित करने के लिए संगठन में मौजूद आन्तरिक नियंत्रण/ आन्तरिक जांच प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न कार्रवाई की गई थी। कर्त्तव्यों में लापरवाही/ गैर-जिम्मेदारी के मामले पर अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस दिया गया, एफआईआर दर्ज की गई थी तथा एक अधिकारी को निलंबित किया गया। इसके अलावा, बैंकों को खातों को फ्रीज करने के लिए को पत्र जारी किए गए जहां राशि को हस्तांतरित किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (फरवरी 2020) में प्रबंधन के मतों की पुष्टि की।

इस प्रकार, अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण तंत्र के परिणामस्वरूप ₹85.13 लाख तक सरकारी धन का कपटपूर्ण आहरण हुआ जिसमें से ₹75.52 लाख की वसूली नहीं हुई।